



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

सुशील बी. पखीड़े

SUSHIL B PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Assistant Registrar (Academic)

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्र. : 28/CDTS/BOS/2019/04/505

तिथि : 08.07.2019

अधिसूचना

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र के अध्ययन मंडल (BOARD OF STUDIES) का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1. केंद्र निदेशक	:	प्रो. लेला कारुण्यकरा, अध्यक्ष
2. केंद्र के सभी प्रोफेसर	:	प्रो. लेला कारुण्यकरा
3. केंद्र से एक एसोशिएट प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	उपलब्ध नहीं।
4. केंद्र से एक सहायक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	डॉ. राकेश सिंह फकलियाल
5. निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची से कुलपति द्वारा नामित एक भूतपूर्व विद्यार्थी	:	श्री वशिष्ठ सेवकदासजी भगत
6. निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची से कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	प्रो. प्रदीप आगलावे, अध्यक्ष, अंबेडकर विचार विभाग, रा.सं.तु.म. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर डॉ. के. वाय. रत्नम, राजनीति विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

क्रम संख्या 04 से 06 के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। तीन सदस्यों की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति पूर्ण होगी जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

प्रतिलिपि :

(सुशील बी. पखीड़े)

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र को संबंधित को सूचित करने तथा अध्ययन मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित कराने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल